Book No.- 1 / Deed No. - 5244

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

कमांक 17646 विधि 8.3.10 मूल्य 5000 शीट सं॰ 1 प्रकार 375518

क्रेता का नाम एवं पता

अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुद्रांक विक्रेता

लाइसेंस संख्या 37487 निबंधन कार्यालय, पटना

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Monday, the 8th of March 2010 by Sanyukta Sinha.

A stamp duty of Rs. 45740/- and other fees of Rs. 754/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names,photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 5244 in Book No. 1 , Volume No. 84 on pages from 17 to 34 and has been preserved in total 18 pages in C.D. No. 13 / Year 2010 .

SCORE Ver. 2.1
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, बिहार

Signature with date
(Ajay Krishna Mishra)
Registering Officer, Patna

Date : 08/03/2010 Token No. : 6304 / 2010

विकास एकरारनामा (डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

आज दिनांक 08.03.2010 को यह विकास एकरारनामा (डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच किया गया।

1. श्रीमती संयुक्ता सिन्हा जौजे– श्री महेश प्रसाद सिंह निवासी– 15/540 एल.आई.जी. कॉलोनी, हनुमान नगर, पटना– 20.

2. श्री नीरज कुमार, वल्द श्री राम विष्णु सिनहा, निवासी मुहल्ला– पीपुल्स कॉपरेटिव कॉलोनी, कंकड़बाग, सेक्टर–डी–124, ~~पटना–20, हालमोकाम सेक्टर~~–एफ–3, पीपुल्स कॉपरेटिव कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना–20.

3. श्रीमती वीणा सिन्हा जौजे श्री राघवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, निवासी– ~~ग्राम– बकस, थाना– बिन्द~~, जिला– नालन्दा।

4. श्रीमती रेणु सिन्हा जौजे निरंजन कुमार निवासी– ललित भवन, कबरूद्दीन गंज, बिहारशरीफ, जिला– नालन्दा।

.....प्रथम पक्ष

बनाम्

मेसर्स राज कन्स्ट्रक्शन, कार्यालय– न्यू चित्रगुप्त नगर, पार्वती पथ, थाना– पत्रकार नगर, जिला– पटना के साझेदार (1) श्री राजेश कुमार बल्द श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी मोहल्ला– ~~लालजी टोला, पो०~~ जी०पी०ओ०, थाना– गॉधी मैदान, जिला– पटना भारतीय नागरिक। (2) श्री राजेश ~~कुमार वल्द श्री अजीत कुमार~~, निवासी– मुहल्ला– न्यू चित्रगुप्त नगर, पार्वती पथ, थाना– पत्रकार नगर, जिला– पटना, भारतीय नागरिक।

..... द्वितीय पक्ष

यह कि तमामी मवाजी खाता नं0– 160, सर्वे खेसरा नं0– 13, रकवा 15 डिसमिल, तौजी नं0– 474, थाना नं0– 30, वार्ड नं0– 21, जोन– 2, मौजा दशरथा, सर्वे थाना– फुलवारी, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना नगर निगम तथा पटना विकास प्राधिकार क्षेत्र के दायरे के अन्दर है जिसका पूर्ण विवरण इस एकरारनामा के नीचे परिशिष्ट–1 में दर्ज है।

यह कि प्रथम पक्ष ने अपने उपरोक्त जमीन को जिसका पूर्ण विवरण इस एकरारनामा के नीचे दर्ज है, उसको द्वितीय पक्ष को बहुमंजिलीय मकान बनाकर विकसित करने के लिए देना स्वीकार किया है वो द्वितीय पक्ष भी उपरोक्त जमीन पर बहुमंजिली मकान बनाकर विकसित करने के लिए लेना स्वीकार किए हैं।

यह कि प्रथम पक्ष ने इस लिखित एकरारनामा लिखवाकर द्वितीय पक्ष को बहुमंजिलीय मकान बनाने के लिए उपरोक्त जायदाद परिशिष्ट संख्या–1 पर पूर्ण रूप से इसलिए दखल कब्जा दे दिया है की वो उसपर बहुमंजलीय मकान, फलैट्स वो कार पार्किंग वो दुकान बनायेगें जो निम्नलिखित शर्तो पर दिया गया हैः–

1– यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को विश्वास दिलाया है कि उपरोक्त जमीन जिसका विवरण इस वसीका के परिशिष्ट संख्या–1 में दर्ज है, वो हर प्रकार के नुक्स हकियत वो ऋण भार से मुक्त है, वो अगर

8-3-2010

8-3-2010

08-03-2010

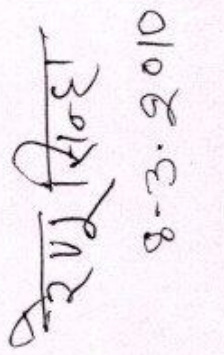
बहुमंजलीय मकान बनाने के समय या बनाने के बाद किसी प्रकार का नुक्स हकियत या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति का पूर्ण भार प्रथम पक्ष पर रहेगा।

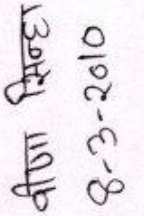
2— यह कि इस एकरारनामा के निष्पादन हो जाने के बाद तुरंत उस जमीन को द्वितीय पक्ष द्वारा अमीन से मापी करवा कर बहुमंजलीय मकान बनाने की कारेंवाई शुरू कर देंगे ।

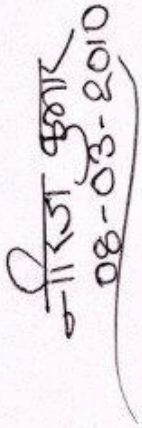
3— यह कि द्वितीय पक्ष (डेभलपर) उस जमीन पर किसी तरह का बहुमंजिला मकान बनाने का काम नियमानुकूल ही करेंगे तथा जो भी बहुमंजिला मकान बनायेंगे उसे पहले सक्षम पदाधिकारी विभाग के द्वारा जरूरत के मुताविक आदेश प्राप्त करेंगे । इस कार्य के लिए डेभलपर पटना नगर निगम/पी0आर0डी0ए0 से नक्शा प्रपोज्ड प्लान नियम कानून के तहत पास करायेंगे जिसे (प्रपोज्ड प्लान) भू—खण्ड मालिक को दिखाने के बाद उनकी सहमति से ही दाखिल करेंगे । तत्पश्चात् ही डेभलपर उस भूमि पर बहुमंजिला मकान का नक्शा पास तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।

4— यह कि डेभलपर यानी द्वितीय पक्ष इस वसीका में दिये गये परिशिष्ट—1 में वर्णित जमीन पर इस शर्त पर यह एकरारनामा कर रहे हैं कि विकसित किया हुआ बहुमंजिला भवन का कुल निर्माण रकवा (बिल्ड—अप एरिया) का 34% (चौंतीस प्रतिशत) बिल्ड—अप एरिया











भू–खण्ड मालिक यानी प्रथम पक्ष को डेभलपर यानी द्वितीय पक्ष बिना किसी जोर दबाव के दे देंगे, जिस पर भू–खण्ड मालिक यानी प्रथम पक्ष का पूर्ण अधिकार एवं स्वत्व एवं दखल–कब्जा हो जायेगा और वे जिस तरह चाहें उस तरह ~~अपना उपयोग, उपभोग करेंगे एवं~~ किसी दूसरे से भी हस्तानान्तरण करने का पूर्ण अधिकार अपने हिस्से के भाग को प्रथम पक्ष को ही रहेगा ।

5– यह कि प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने–अपने हिस्से को किसी को विक्रय कर सकते हैं या ~~किसी पर लगा सकते हैं या~~ उस पर व्यवसायिक संस्था से कर्ज ले सकते हैं या खुद निवास कर सकते हैं ।

6– यह कि प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को बने हुए बहुमंजिलीय मकान में अपना–अपना हिस्सा किधर मिलेगा इसको दोनों ~~पक्ष आपस में बैठकर सभी तल्ले~~ पर अपने हिस्से के अनुसार पटना नगर निगम/पी0आर0डी0ए0 नक्शा पास होने के बाद तय कर एकरारनामा (Allotment Agreement) ~~बना लेंगे। बाकी अनिर्मित हिस्से~~ जैसे सड़क उसके अगल–बगल के जमीन, खुले हिस्से, सीढ़ी पैसेज, बिजली, पानी ~~लगाने वाली जगह वगैरह~~ आदि पर प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष को अपने–अपने हिस्सा मुताबिक इजमालन दखल–कब्जा में रहेंगे । वो प्रथम पक्ष वो ~~उनके द्वारा~~ जिनको फलैट का हस्तान्तरण करेंगे, उनको वो द्वितीय पक्ष या उसके हस्तान्तरण किये गये

फलैटों के व्यक्तियों को उपरोक्त संयुक्त स्थान संयुक्त रूप से उपयोग करने का अधिकार रहेगा ।

7– यह कि इस लेख्य के परिशिष्ट–1 (एक) में वर्णित भूमि पर विकास कर बहुमंजिला मकान निर्माण करने का अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष यानी डेभलपर का ही होगा । भवन निर्माण करने के संबंध में नक्शा पास कराने का काम या किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त करने की पूरी जबाबदेही सिर्फ द्वितीय पक्ष का ही रहेगा । उन सब चीजों में जो भी खर्च वहन करना पड़े वह खर्च द्वितीय पक्ष ही करेंगे ।

8– यह कि भवन निर्माण में किसी तरह का जो भी खर्च या व्यय होगा उस खर्च से डेभलपर द्वारा जो भी भवन निर्माण के संबंध में खर्च होगा उसका हिसाब–किताब, लेन–देन से किसी भी तरह का कोई मतलब या सम्बन्ध प्रथम पक्ष को या उनके वारिसान या उनके उतराधिकारियों को नहीं रहेगा ।

9– यह कि बहुमंजलीय मकान पूर्ण रूप से विकसित करने का निर्माण अवधि पटना नगर निगम से नक्शा स्वीकृत होने के बाद 3 (तीन) साल के अलावा 6 (छः) महीना के 'ग्रेस पीरियड' के साथ रहेगा । द्वितीय पक्ष खण्ड–खण्ड कर या जिस तरह से सुविधा हो उस तरह उक्त अवधि तक निश्चित रूप से निर्माण का कार्य पूरा कर प्रथम पक्ष को दिये गये 34/. (चौंतीस प्रतिशत)

वीणा सिन्हा 8-3-2010

वीणा सिन्हा 8-3-2010

रश्मि कुमार 08-03-2010

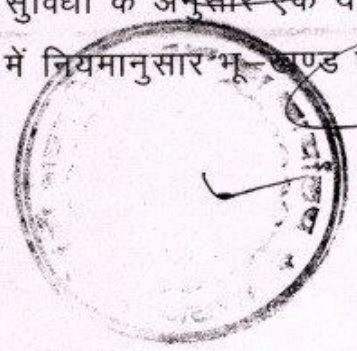
रश्मि कुमार 2-3-10

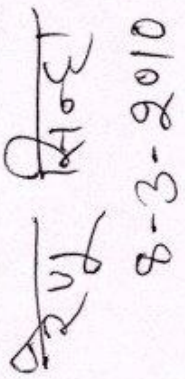
हिस्से के अनुसार पूरा कर लेंगे तथा उक्त अवधि के अन्दर ही पूर्ण रूप से निर्मित फलैट/कार पार्किंग/दुकान पर दखल कब्जा प्रथम पक्ष के हिस्से के अनुसार द्वितीय पक्ष करा देंगे। भूखण्ड मालिक के हिस्से में दिया गया 34/. (चौंतीस प्रतिशत) फलैट/कार पार्किग/दुकान आदि समेत दिया जायेगा जो उक्त भूमि का मुआवजा होगा। भविष्य में भू–खण्ड मालिक एवं उनके वारिसान तथा उत्तराधिकारी भी उक्त भू–खण्ड पर दावा नहीं करेंगे।

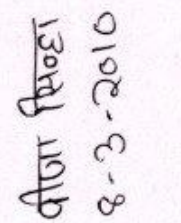
10– यह कि किसी अनहोनी घटना या प्रकृति की कोप लीला सरकारी संस्था से रूकावट इत्यादि के वजह से भवन बनाने में जो समय बर्बाद होगा, जिससे भवन निर्माण में विलम्ब होगा उस अवधि को निर्माण की अवधि में नहीं लिया जाएगा ।

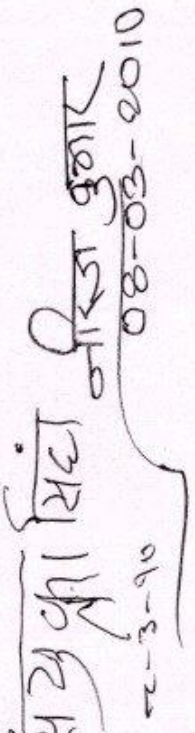
11– यह कि भवन निर्माण में प्रथम पक्ष के सदस्यों एवं उनके वारिसानों के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा । लेकिन भवन निर्माण सामग्री को जॉच करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । अगर प्रथम पक्ष के सदस्यों एवं उनके वारिसानों के द्वारा बहुमंजलीय कार्य रोक दिया जाता है तो वह अवधि निर्माण अवधि में नहीं लिया जायेगा ।

12– यह कि डेभलपर को यानी द्वितीय पक्ष को अपने सुविधा के अनुसार एक या एक से अधिक ब्लॉक (खंड) में नियमानुसार भू–खण्ड पर भवन का निर्माण करेंगे ।









इस पर प्रथम पक्ष को किसी तरह का कोई एतराज या आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

13– यह कि समय अनुसार या नियम कानून के अनुसार निर्माणाधीन भवन में किसी तरह का फेर–बदल करना पड़े तो भवन निर्माता यानी डेभलपर प्रथम पक्ष से विचार कर उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे ।

14– यह कि डेभलपर स्वयं या किसी अन्य भवन निर्माता या ठीकेदार को रख कर भवन–निर्माण करायेंगे, निर्माण के समय अभियंता या अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति या प्रोन्नति या हटाने का पूर्ण अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष को ही रहेगा । उसी प्रकार, द्वितीय पक्ष सुविधा अनुसार अभियंता, आर्किटेक्ट, सर्वेयर बहाल कर सकते हैं । ~~जिसका संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष~~ को वहन करना है जो दायित्व है।

15– यह कि दोनो पक्षकार सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा– 5(1) एवं 5(2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक / संप्रवर्तक (66 ⁄ .) एवं भू–स्वामी (34 ⁄ .) अपने अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने–अपने हिस्से को पृथक से बेचने / ~~अन्तरण करने के हकदार होंगे~~ और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन

8-3-2010

8-3-2016

08-03-2010

2-3-90

करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा । जिसके लिए विकासक/संप्रवर्तक को भी अलग से किसी भी पावर ऑफ अटर्नी या किसी एग्रीमेन्ट की जरूरत नहीं होगी । विकासक अपने हिस्से का 66/. (छियासठ प्रतिशत) क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे । जिसमें जमीन मालिक के 34/. (चौंतीस प्रतिशत) हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा । इसके बावजूद भी अगर आवश्यकता होगी तो जमीन मालिक एवं अनिबंधित/ निबंधित सामान्य पावर ऑफ अटर्नी देंगे और डेवेलपर अथवा / और उनके नामित व्यक्ति अथवा उतराधिकारियों के पक्ष में पंजीकृत कराएंगे जिससे डेवेलपर को कार्य करने में कोई वाधा या विरोध न हो और उसके द्वारा डेवेलपर को उक्त भूमि पर शांति पूर्वक काम करने के लिए अधिकार देंगे जो अन्नयन के लिए उसकी योजना बनाने के लिए तथा उक्त इमारत के निर्माण तथा फलैटों की बिक्री रजिस्ट्री इत्यादि के लिए विकासक एवं जमीन मालिक अपने–अपने हिस्से को अलग–अलग करेंगे ।

16– यह कि इस लेख्य के परिशिष्ट संख्या–1 (एक) में वर्णित भूमि पर भवन निर्माण करने के संबंध में पटना नगर निगम या किसी अन्य विभाग में आवेदन देने की जरूरत पड़े या हस्ताक्षर करने की जरूरत पड़े या मुकदमा करने या अधिवक्ता बहाल करने या वकालतनामा

8-3-2010

8-3-2010

08-03-2010

2-3-10

लिखने या शपथ–पत्र या अन्य किसी चीज की जरूरत पड़े तो यह कार्य करने के लिए द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा । परन्तु, इन सबों की सूचना भू–खण्ड मालिक या उनके प्रतिनिधि को कर देंगे ।

17– यह कि द्वितीय पक्ष भू–खण्ड मालिक के 34/. (चौंतीस प्रतिशत) हिस्से को छोड़कर अपने हिस्से के खरीदार ट्रांसफरी के हित में अपने किसी भी फलैट/ दुकान/ ब्लॉक सिक्यूरिटी के रूप में रहेगा। इस कर्ज की पूरी भरपाई खरीददार स्वयं करेंगे। दूसरे शब्दों में इस कर्ज से संबंधित देनदारी प्रथम पक्ष की नहीं होगी। इस कार्य में प्रथम पक्ष किसी तरह की कोई आपत्ति प्रकट नहीं करेंगे ।

18– यह कि डेभलपर (द्वितीय पक्ष) किसी भी निर्माण–कार्य का सम्पादन प्रमाणित प्लान एवं नियमानुकूल के तहत करेगे फिर भी कोई फाईन या पेनाल्टी इस निर्माण कार्य पर किसी विभाग द्वारा लगाया गया तो यह डेवलपर एवं भू–खण्ड मालिक दोनों को अपने प्रस्तावित हिस्सा के अनुकूल व्यय करना होगा।

19– यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत जो भी अधिकार भू–खण्ड मालिक को प्राप्त है, वह पूरा अधिकार उनके उत्तराधिकारी/ वारिसान (Nominee) का भी रहेगा। भवन में सार्वजनिक स्थान, सीढ़ी, सार्वजनिक पार्किंग

8-3-2010

8.3.2010

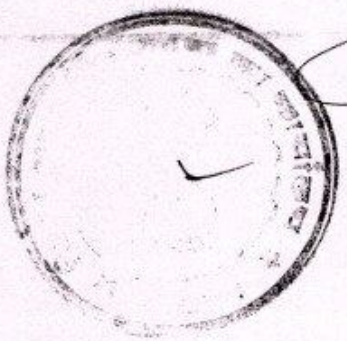
08-03-2010

का जगह कैम्पस, लिफ्ट, पोर्टिकों इत्यादि में जो अधिकार डेभलपर या उनके वारिसान का होगा वही अधिकार भू–खण्ड मालिक या उनके उत्तराधिकारी /वारिसान का रहेगा ।

20– यह कि प्रथम पक्ष या उनके उत्तराधिकारी /वारिसान तथा द्वितीय पक्ष या उनके वारिसान में भविष्य में किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाय, वैसी स्थिति में आपस में मिलजुल कर समझौता कर लेंगे फिर भी विवाद समाप्त नहीं होता तो वैसी हालत में पटना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विवाद लाने का अधिकार रहेगा।

21– यह कि यह डेभलपर एग्रीमेन्ट किसी भी समय या किसी भी आधार पर डेभलपर एवं भू–खण्ड मालिक का साझेदारी नहीं समझा जायेगा ।

22– यह कि इस भूखण्ड पर बने भवन में सबसे उपरी छत प्रथम पक्ष एवं दूसरे पक्ष अपने निर्धारित हिस्से के मुताबिक विभाजित कर लेंगे और अपने हिस्से में मिले भाग को चाहे रखें या किसी दूसरे के हाथ बेच दे और इस तरह एक के भाग से दूसरे को कोई संबंध विभाजन के बाद नही रह जायेगा । विकासक इस तरह से उस छत का विभाजन करेंगे की दोनों के मिले हुए भाग में जाने का स्वतंत्र रास्ता होगा ।



वीणा सिन्हा 8-3-2010

वीणा सिन्हा 8-3-2010

कौशल कुमार 08-03-2010

राजेश्वरी सिंह 8-3-10

23– यह कि भविष्य में उपरी छत के उपर भी निर्माण की वैधानिक जरूरत पड़े तो उपर निर्मित भाग में भी दोनों पक्षों की हिस्सेदारी पूर्ववत् रहेगी।

24– यह कि बहुमंजलीय भवन का नाम "**राज कम्पलेक्स**" होगा ।

25– यह कि यदि डेभलपर निर्माण में अनुमोदित नक्शे का विचलन करें तो उसकी जिम्मेवारी डेभलपर की होगी और यदि प्रथम पक्ष उस विचलित भाग में अपना हिस्सा लेना चाहेंगे तो उसको नियमानुकूल करने में जो राशि खर्च होगा उसका आनुपातिक राशि खर्च करेंगे और हिस्सा भी उसी अनुसार रहेगा।

26– यह कि इस एग्रीमेन्ट के निष्पादित होने के दिन से ही भूखण्ड पर डेवलपर यानि द्वितीय पक्ष का अधिकार हो जायेगा और डेवलपर उस जमीन पर विकास या निर्माण हेतु अपने खर्च पर कार्य प्रारम्भ कर देगा । इसमें भू–खण्ड मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

27– यह कि डेवलपर इस लेख्य के परिशिष्ट संख्या–1 (एक) में वर्णित भू–खण्ड पर भवन निर्माण करने में डेवलपर को कोई पार्टनर या साझेदार की आवश्यकता हो या कोई सोसायटी या कोई कॉरपोरेट बॉडी शामिल करने की जरूरत हो, तो वह स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं । इसमें किसी प्रकार की आपत्ति, भूखण्ड मालिक को नहीं होगी ।



28– यह कि समय–सीमा के अन्दर प्रथम पक्ष के हिस्से को डेवलपर द्वारा पूरा नहीं करने पर डेवलपर के आर्किटेक्ट के मुताबिक डेवलपर भू–खण्ड मालिक को प्रति स्कावयर फीट रू0 5/– (पॉच रूपये मात्र) के हिसाब से प्रत्येक माह किराया देना होगा । यह किराया प्रथम पक्ष के 34/. (चौंतीस प्रतिशत) के बचे हुए हिस्से पर ही लगेगा जिसका दखल कब्जा प्रथम पक्ष को नहीं दिया गया है।

29– यह कि भूखण्ड स्वामी एवं विकासकर्त्ता बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप एक्ट 2006 तथा बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप रूल 2006 के अन्तर्गत निर्माण कार्य एवं सारी सुख–सुविधा सहित निर्माण करेंगे तथा अपने–अपने हक वो हिस्सा के शेयर को इस्तेमाल में लावेंगे तथा अपने–अपने खरीदार को बिक्री करेंगे एवं बैयवेयाना, बंधक, लीज, बिक्रय–पत्र तथा किसी भी प्रकार के दस्तावेज के निबंधन में पावर ऑफ एटॉर्नी की आवश्यकता इस कानून के तहत नही है और न भविष्य में होगा।

30– यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के 34/. (चौंतीस प्रतिशत) के हिस्से में निम्नलिखित प्रकार की सामग्री लगाकर देंगे।

(क) जमीन सतह (फ्लोरिंग)– फलैट की सभी सतह पर मार्बल फलोरिंग होगा।

(ख) खिड़की–ग्लास के साथ स्टील खिड़की (लोहे का खिड़की) प्लेन्ट किया हुआ रहेगा।

(ग) दरवाजा–सखुआ के लकड़ी का चौखट के साथ 30 एम0एम0 का मोटा प्लस वाटर प्रूफ प्लाईबोर्ड का दरवाजा पेन्ट किया हुआ रहेगा।

(घ) रसोई–रसोई का मेन स्लैब 20 इंच चौड़ा जिसका उँचाई जमीन से 30 इंच रहेगा, इसपर मार्बल का स्लैब लगा हुआ रहेगा ।

(ड़) स्नानघर (बाथरूम)–बाथरूम के दीवाल पे सात फीट उंचा ग्लेज टाईल्स सभी तरफ लगा हुआ रहेगा । सभी फलैट में दो बास बेसिन तथा दोनों बाथरूम में हॉट कोल्ड पानी का पाईप लगा हुआ रहेगा ।

(च) दीवाल व्हाईट वाश– दो कोट सेम से व्हाईट वाश किया हुआ दीवाल रहेगा।

(छ) टेलीफोन तथा केबल– टेलीफोन तथा केबल का ड्राइंग हॉल में प्वाइंट दिया हुआ रहेगा ।

(ज) बिजली–नक्शे के हिसाब से सभी जगह बिजली का प्वाइंट दिया हुआ रहेगा । सभी समान आई0एस0मार्क का होगा ।

(झ) जनरेटर एवं लिफ्ट लोड कैपिसीटी के अनुसार दिया जायेगा।

परिशिष्ट–1 (एक)

यह कि तमामी मवाजी खाता नं0– 160, सर्वे खेसरा नं0– 13, रकवा 15 डिसमिल, तौजी नं0– 474, थाना नं0– 30, वार्ड नं0– 21, जोन– 2, मौजा दशरथा, सर्वे थाना– फुलवारी, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना नगर निगम तथा पटना विकास प्राधिकार क्षेत्र के दायरे के अन्दर है जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर – बाईपास रोड

दक्षिण – खेयाली महतो

पुरब– श्रीमती उर्मिला सिन्हा

पश्चिम– सिवाना चितकोहरा।

परिशिष्ट नं0–1, मौजा दशरथा मवाजी–15 डिसमिल जिसका भूमि मूल्यांकन सूची नं0–....., जोन–2 के मुख्य रोड का दाम मो0 1,52,088/– रूपये प्रति डिसमिल जिसका कुल कीमत मो0 22,82,000/– जिस पर स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत के हिसाब से मो0 45,640/– + 100/– वो अन्य फीस बैंक चालान के माध्यम से जमा है।

यह कि इस लेख्य में लिखी सारी बातों को लेख्य के समक्ष पक्षगण/पक्षकार पढ़कर एवं पढवाकर अच्छी तरह समझ–बुझ लिया तथा सही पाकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष अपना हस्ताक्षर कर दिया ।

1. संयुक्ता सिंह
2-3-10

2. नीरज कुमार
08-03-2010

3. वीणा सिन्हा
8-3-2010

4. रेणु सिन्हा 8-3-2010

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
(भू–खण्ड मालिक)

1. Rajesh kumar
8/3/2010

2. Rajesh Kumar
8/3/2010

मेसर्स राज कन्स्ट्रक्शन
हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
(डेभलपर)

1. राम विलास सिन्हा
8/3/2010

2. महेश यादव
हस्ताक्षर गवाहान 8/3/10

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर 2009 - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

प्रारूपकर्ता
8/3/2010
[illegible] सिंह अधिवक्ता
केन्द्रीय कोर्ट
[illegible] नं०-2[illegible]

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 45740** *Amt. paid by N.J. Stamp Paper -* **Rs. 5000**

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act **Rs.** *Amt. paid through Bank Challan -* **Rs. 41494**

FEE PAID				Registration Fee					LLR + Process Fee		Service Charge
	A1	0	C	0	H1b	0	Ka1	0 Lii 0	LLR	0	
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0 Liii 0	Proc. Fee	0	450
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0 Mb 0	Total-	0	
	A10	0	E	250	J1	0	K2	0 Na 54			
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0			

TOTAL- 304

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. 754

Registering Officer
Patna

Date : 08/03/2010

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Monday, 08th March 2010 by Sanyukta Sinha W/O-Sri Mahesh Prasad Singh by profession Others. Status - Executant

सयुक्ता सिंहा
2-3-10

Registering Officer
Patna

Signature / L.T.I. of Presentant *Date : 08/03/2010*

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Ram Bishnu Sinha age Sex M son/daughter of S/O-Late Braj Behari Singh resident of F/3,Kankarbagh Colony,P.C.Colony,Patna.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

Date : 08/03/2010

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 84 on page no. 17 - 34 for the year 2010 and stored in CD Volume No.CD-13 year 2010. The document no. is printed on the front Page of the document.

Registering Officer
Patna

Date : 08/03/2010

Token No. 6304 Year - 2010 Sl.No. 6187 SCORE Ver. 2.1 Deed No. 5244 NIC-Bihar